रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940
No. 578] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 785(अ).—कतिपय नियमों, अर्थात् बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2018 का प्रारूप, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 401(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2018 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 26 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिससे उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, जनता को उक्त राजपत्र की प्रतियां 26 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा लोकपाल नियम, 2017 में,

(i) नियम 5 के उप-नियम (2) में खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(vi) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष या भारतीय साधारण (सार्वजनिक क्षेत्र) बीमाकर्ता संगम (जिप्सा) का अध्यक्ष, परंतु वे बीमाकर्ताओं की कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य न कर रहे हों";

(ii) नियम 10 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

"(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियत वेतन के लागू होने की प्रभावी तारीख वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए:

परंतु यह कि लोकपाल को देय अन्य भत्ते तथा परिलब्धियां, जिसके अन्तर्गत उनके लागू होने की प्रभावी तारीख भी है, वह होगी, जो बीमाकर्ताओं की कार्यकारी परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित की जाए।"

[फा.सं. 14019/22/2010-बीमा-II]

एन.श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 413(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2018

G.S.R. 785(E).—Whereas, the draft of certain rules namely, the Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2018, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 26th April, 2018 under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Financial Services) number G.S.R. 401(E), dated the 26th April, 2018 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of said Official Gazette were made available to the public on the 26th April, 2018;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said draft.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999(41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Ombudsman Rules, 2017, —

   (i) in rule 5, in sub-rule (2), for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely: —

"(vi) the Chairman, Life Insurance Corporation of India (LIC of India) established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the Chairman, General Insurers' (Public Sector) Association of India (GIPSA) provided they are not acting as Chairperson of the Executive Council of Insurers.";

(ii) in rule 10, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The effective date for application of the fixed pay referred to in sub-rule (1) shall be such as may be determined by the Central Government:

Provided that the other allowances and perquisites payable to the Ombudsman including the effective date for their application shall be such as may be determined by the Executive Council of Insurers with the prior approval of the Central Government."

[F.No.14019/22/2010-Ins.II]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 413(E), dated the 27th April, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.08.24 18:50:56 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.